



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

RPCB/RO KSG/PUB-70/2415

Date: 06-10-2020

M/s Stone Metals Pvt. Ltd.,
17, Kasinath Mullick Lane,
Kolkata-700073

Sub.:- Public Hearing for Environmental Clearance for Expansion of Para Magra Ganeshpura Quartz & Feldspar Mining Project, Proposed production capacity 196350 TPA, ML no. 08/95, Lease Area-136 hectares, Village Ganeshpura, Tehsil Kekri, District Rajasthan.

Ref.:- Office of district collector Ajmer letter no. 17892 dated 28/09/2020.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before **20/10/2020**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Para , Tehsil Kekri, Distrcet Ajmer at 02.00 PM on 20/11/2020** for the environmental clearance of your project.


You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sdr
(Rakesh Gupta)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. Impact Assessment Division, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bhag, Lodhi Road, New Delhi
2. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
3. The Additional District Collector(LC), Ajmer in compliance to your letter no. 17892 dated 28/09/2020
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.



amb
Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी-70/


दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स स्टोन मेटल्स प्रा.लि. द्वारा पैरा मगरा गणेशपुरा क्वार्टज एवं फेल्डस्पार खनन परियोजना के विस्तार हेतु, उत्पादन क्षमता-196350 टी.पी.ए.(क्वार्टज एवं फेल्डस्पार-84240 एम.टी.(आर.ओ.एम.), रीजेक्ट-21060 एम.टी., ओवरबर्डन-91050 एम.टी.), क्षेत्रफल-136 हेक्टेयर, एम.एल.संख्या-08/95, ग्राम गणेशपुरा, तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स स्टोन मेटल्स प्रा.लि. ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. पर्यावरण प्रभाव आकलन शाखा, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
 2. क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनउ (उत्तरप्रदेश)।
 3. जिला कलेक्टर, अजमेर
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. कार्यालय खनिज अभियंता, खान व भू-विज्ञान विभाग, अजमेर।
 6. तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2020/17892 दिनांक 28.09.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 20/11/2020 को दोपहर 02.00 बजे, स्थान - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पारा, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आपेक्ष/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।


(राकेश गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी